

कार्यालय आयुक्त,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास,
छत्तीसगढ़ रायपुर

दूरभाष क0-0771-2263748 फ़ैक्स - 2262558 E-Mail- ctd.cg@nic.in, ctdbudget@gmail.com

क्रमांक/बजट-दो/07/2015-16/ 539
प्रति,

रायपुर, दिनांक 20/04/15

कलेक्टर,

जिला-रायपुर/गरियाबंद/महासमुंद/बालोद/धमतरी/
राजनांदगांव/बिलासपुर/रायगढ़/सरगुजा/कोरबा/
बलरामपुर/सूरजपुर/जशपुर/कोरिया/जगदलपुर/
कोण्डागांव/दंतेवाड़ा/सुकमा/कांकेर/बीजापुर/
नारायणपुर/जांजगीर/कबीरधाम/बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़

विषय :- मांग संख्या-15/82/2202 में शिक्षाकर्मियों के मानदेय हेतु आवंटन वर्ष 2015-16.
संदर्भ :- शि0स्था0-2 शाखा की नस्ती क्रमांक 166 के नोटशीट पृ.क. 3 पर आयुक्त की स्वीकृति अनुसार।

—00—

शिक्षाकर्मियों के मानदेय हेतु राशि ₹ 2,31,04,00,000=00 (शब्दों में ₹ दो अरब इकतीस करोड़ चार लाख मात्र) का आवंटन निम्नांकित शर्तों के अधीन सौंपा जाता है :-

1. आवंटन हेतु वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देश क्रमांक 01/एल 6-1/ब-4/चार /2015, दिनांक 01.04.2015 की कंडिकाओं का पालन किया जावे।
2. आहरण अधिकारी द्वारा आवंटित राशि के आहरण के पूर्व कोषालय सहिता भाग-1 के अनुपूरक नियम-9 एवं अनुपूरक नियम-284 का पालन कड़ाई किया जावे।
3. आवंटित राशि चालू देयक के आधार पर ही कोषालय से आहरण कर भुगतान करना सुनिश्चित करें।
4. वित्तीय संहिता भाग-1 के नियम-148 के विपरीत एक ही कार्य का टुकड़ों में विभाजन प्रतिबंधित रहेगा।
5. अतिरिक्त आवंटन की प्रत्याशा में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जावे।
6. आवंटित राशि संलग्न पत्रक में अंकित बजट शीर्ष से विकलनीय होगी।
7. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा समय-समय पर जारी वित्त निर्देशों का पालन किया जावे।
8. विभागीय जिला कार्यालय प्रमुख जिला स्तर पर वित्तीय नियंत्रण, मासिक व्ययों के समीक्षा के लिये जिम्मेदार है, अतः व्यायाधिक्य की स्थिति के लिये भी वे ही जबावदेह होंगे।
9. आवंटित राशि के मासिक व्यय पत्रक प्रत्येक माह की 05 तारीख तक भेजना सुनिश्चित करें।

20/04/15
(के.एल. रवि)

संयुक्त संचालक (वित्त)

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
रायपुर छत्तीसगढ़

बजट शीर्ष :-

बी०सी०ओ०कोड-2506

1. मांग संख्या-82, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्राथमिक शिक्षा, 197-जनपद पंचायतों को सहायता, 0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना, यो०क०-8403-शिक्षाकर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए, 14-सहायक अनुदान, 001-स्थापना अनुदान,
2. मांग संख्या-82, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, 02-माध्यमिक शाला, 197-जनपद पंचायतों को सहायता, 0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना, यो०क०-8403-शिक्षाकर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए, 14-सहायक अनुदान, 001-स्थापना अनुदान,
3. मांग संख्या-15, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्राथमिक शिक्षा, 197-जनपद पंचायतों को सहायता, 0103-अनुसूचित जाति उपयोजना, यो०क०-8403-शिक्षाकर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए, 14-सहायक अनुदान, 001-स्थापना अनुदान,
4. मांग संख्या-15, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, 02-माध्यमिक शाला, 196-जिला पंचायतों को सहायता, 0103-अनुसूचित जाति उपयोजना, यो०क०-8403-शिक्षाकर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए, 14-सहायक अनुदान, 001-स्थापना अनुदान,

क.	जिला	डी०डी०ओ० कोड	पुनरावृत्ति राशि (लाख में)				कुलयोग
			82 / 2202 / 02 197 / 8403	82 / 2202 / 01 197 / 8403	15 / 2202 / 196 / 8403	15 / 2202 / 197 / 8403	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बालोद	2225024	600.00	700.00	0	0	1300.00
2.	जशपुर	0325001	1000.00	1800.00	0	0	2800.00
3.	कोण्डागांव	2425001	500.00	1200.00	0	0	1700.00
4.	रायगढ़	0425001	500.00	600.00	6.00	5.00	1111.00
5.	बीजापुर	1825015	200.00	350.00	0	0	550.00
6.	बिलासपुर	0725003	250.00	350.00	0	0	600.00
7.	कोरबा	0525002	450.00	300.00	8.00	8.00	766.00
8.	सुकमा	2525011	140.00	200.00	0	0	340.00
9.	सूरजपुर	2725001	300.00	600.00	0	0	900.00
10.	कांकेर	1425098	800.00	1500.00	0	0	2300.00
11.	दन्तेवाड़ा	1625054	900.00	1300.00	0	0	2200.00
12.	गरियाबंद	2025012	300.00	500.00	0	80.00	880.00
13.	धमतरी	1325009	430.00	500.00	0	0	930.00
14.	नारायणपुर	1725010	230.00	400.00	0	0	630.00
15.	जगदलपुर	1525080	400.00	2200.00	0	0	2600.00
16.	कोरिया	0125001	200.00	1200.00	0	0	1400.00
17.	सरगुजा	0225006	300.00	500.00	0	0	800.00
18.	बलरामपुर	2625029	300.00	400.00	0	0	700.00
19.	राजनादगांव	0925001	200.00	300.00	2.00	2.00	504.00
20.	महासमुन्द	1225001	6.00	5.00	3.00	2.00	16.00
21.	कबीरधाम	0825001	4.00	26.00	3.00	1.00	34.00
22.	बलौदाबाजार	1925001	4.00	0	5.00	3.00	12.00
23.	रायपुर	1125002	2.00	2.00	10.00	10.00	24.00
24.	जांजगीर-चांपा	0625001	0	0	6.00	1.00	7.00
	महायोग		8016.00	14933.00	43.00	112.00	23104.00

(शब्दों में र दो अरब इकतीस करोड़ चार लाख मात्र)



संयुक्त संचालक (वित्त)

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास,
छत्तीसगढ़ रायपुर